


उपखण्ड अधिकारी

20/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी रत्तर पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी